प्रेस नोट

थाना सीपरी बाजार, जनपद झाँसी

दिनांक – **14.05.2026**

- **झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही।**
- **थाना सीपरी बाजार पुलिस द्वारा कमजोर वर्ग की नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।**
- **अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।**

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर आलोक सिंह एवं श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में थाना सीपरी बाजार पुलिस द्वारा दिनांक 13.05.2026 को मु0अ0सं0 210/2026 धारा 64(2)(M) बीएनएस, 5L/6 पॉक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट से संबंधित अभियुक्त कृष्णा रायकवार पुत्र अशोक रायकवार निवासी पाल कॉलोनी, थाना सीपरी बाजार, जनपद झाँसी उम्र करीब 18 वर्ष को बूढ़ा पुल, चौकी क्षेत्र भोजला मंडी, थाना सीपरी बाजार, जनपद झाँसी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 10.05.2026 को वादी वीर सिंह अहिरवार पुत्र चिन्तामन निवासी पाल कॉलोनी, जनपद झाँसी द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दी गई कि अभियुक्त कृष्णा रायकवार द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ जबरन शारीरिक संबंध करने तथा पुनः संबंध बनाने का प्रयास करने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सीपरी बाजार पर मु0अ0सं0 210/2026 धारा 64(2)(M) बीएनएस, 5L/6 पॉक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान नामजद अभियुक्त कृष्णा रायकवार को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का विवरण

कृष्णा रायकवार पुत्र अशोक रायकवार निवासी पाल कालोनी थाना सीपरी बाजार जनपद झाँसी उम्र करीब 18 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

प्र0नि0 श्री जय प्रकाश चौबे, थाना सीपरी बाजार

उ0नि0 श्री सोबरन सिंह, थाना सीपरी बाजार

का0 100 चन्द्रशेखर, थाना सीपरी बाजार